न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
159 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 199	16.06.2023	24.11.2025

अनवान

रामधन पुत्र जगन्नाथ खारोल निवासी देवखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– प्रार्थी

:: **बनाम** ::

1– चारभुजा जी महाराज खुदकाश्त जरिये प्राकृतिक संरक्षक पुजारी रामकिशन पुत्र भूरदास वैष्णव (साधु) निवासी देवखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नि. गौतम छात्रावास के पास, मोहन बाड़ी, कलिंजरी गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– चारभुजा जी महाराज खुदकाश्त जरिये प्राकृतिक संरक्षक पुजारी लक्ष्मणदास पुत्र भूरदास वैष्णव(साधु) निवासी देवखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– चारभुजा जी महाराज खुदकाश्त जरिये प्राकृतिक संरक्षक पुजारी रामजस पुत्र रामदास वैष्णव निवासी देवखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नि. गौतम छात्रावास के पास, मोहन बाड़ी, कलिंजरी गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– चारभुजा जी महाराज खुदकाश्त जरिये प्राकृतिक संरक्षक पुजारी सावंरा पुत्र रामदास वैष्णव निवासी देवखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति – श्री पन्ना लाल खारोल –अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री राजेश वर्मा –अभिभाषक विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम देवखेड़ा पटवार हल्का डाबला कचरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा में आराजी खसरा संख्या 514 गै.मु.आ. रकबा 0.0600 है0, 513 रकबा 0.0500 है0, 515 रकबा 0.2000 है0, 516 रकबा 0.2900 है0, 505 रकबा 0.0400 है0, 506 रकबा 0.0400 है0 में प्रार्थी का मकान निर्मित होकर प्रार्थी के हक अधिकार कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। विपक्षीगणों की संयुक्त खातदोरी में गै.मु.आ. खसरा संख्या 514 रकबा 0.0600 है0 हिस्सा 1/4 स्थित है। विपक्षीगणों की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 26 खसरा संख्या 511 रकबा 0.4000 है0, 512 रकबा 0.3400 है0 स्थित है। विपक्षीगणों की खातेदारी कृषि आराजी 511, 512 प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार कब्जे काश्त की कृषि आराजी 514 कुआ गै.मु.आचा के साथ संलग्न है। प्रार्थी खसरा संख्या 514 में 3/4 हिस्से का हिस्सेदार है एवं विपक्षीगण 1/4 हिस्से के हिस्सेदार है, प्रार्थी एवं विपक्षीगण खसरा संख्या 514 रावला कुआ गै.मु.आचा के संयुक्त खातेदार होकर लगातार कब्जे एवं काश्त करते चले आ रहे है। इस कुए के पानी का उपयोग उपभोग दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से लम्बे समय से लगातार करते चले आ रहे है। प्रार्थी खासरा संख्या 514 गै.मु.आ.चा. तक पहुंचने के लिए आजन्म के वर्षो से खसरा संख्या 103 जो सार्वजनिक

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा निर्मित डामरीकृत सड़क जो ग्राम डाबला कचरा की ओर आने–जाने में उपयोग आती है, इस आबादी भूमि से लगायत प्रार्थी का मकान खसरा संख्या 505 च 506 में निर्मित होकर स्थित है। प्रार्थी खसरा संख्या 505 व 506 में से निकल कर खसरा संख्या 530 में निर्मित सीसी रास्ता जो विपक्षीगणों के खातेदारी हक की भूमि में से होते हुए संयुक्त खातेदारी एवं हिस्सेदारी के रावला कुआ खसरा संख्या 514 गै.मु. आचा तक पहुंचते है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा लगातार लगभग जन्म के वर्षो से करता चला आ रहा है। विपक्षीगणों ने उक्त विद्यमान मार्ग को संकड़ा(छोटा) कर रोक दिया जिसके कारण प्रार्थी कृषि कार्य करने से संबंधित ट्रेक्टर, कृषि उपकरण को कृषि आराजियात पर कृषि कार्य करने के लिए लाने ले जाने में असमर्थ हो गया है। दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थी कृषि कार्य करने गया तो विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थी को जबरन एवं बलपूर्वक रोक दिया और प्रार्थी के साथ गाली गलौच करते हुए धमकी दी कि भविष्य में इस रास्ते को जेसीबी मशीन से डोल डालकर बंद कर देगें। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य करने हेतु आने जाने एवं कृषि भूमि की हंकाई–बुवाई, कटाई हेतु कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर इत्यादी लाने एवं ले जाने के लिए अपने मकान से निकल कर आबादी खसरा सख्या 530 में निर्मित सीसी सड़क से होते हुए विपक्षीगणों की कृषि भूमि खसरा संख्या 511, 512 में से स्थित रास्ते को रातस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विपक्षीगणों की आराजी 511 एवं 512 में स 15–20 फीट चौड़ाई एवं लम्बाई अनुसार प्रार्थी की कृषि आराजियात खसरा संख्या 514 गै.मु.आचा तक पहुंचने के लिए डी.एल.सी. दर अथवा डी.एल.सी. दर से दुगना दर से विद्यमान मार्ग को खुलासा एवं विस्तारित अर्थात चौड़ा करने हेतु अधिगृहित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर अमलदरामद कराने एवं मौके से रास्ता खुलासा कराने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में एव विपक्षीगणों के विरूद्ध दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा जरिय अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा के उपस्थित दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। विपक्षी संख्या 5 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

जिसके पश्चात अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बहस अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गयी। बहस के दौरान अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना बताया गया। जिससे पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करन हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। जिसके पश्चात भू0अ0निरीक्षक द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई। प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गया।

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते गिरदावर द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा मनमकसूद मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। एवं दौराने कार्यवाही अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्षों को सुना गया। गुणावगुण के आधार पर दोनों प्रार्थना पत्रों को नामंजूर कर बहस अभिभाषक उभयपक्षों की मूल प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी विशेष ध्यान दिलाने बाबत मय न्यायिक दृष्टांतो के साथ प्रस्तुत किया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया की प्रथम मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की की शामलाति आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
एवं ... कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

514 रकबा 0.06 है0 तक जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता जो आरजी नम्बर 511 व 512 में से दिया जाना है लघुत्तम रास्ता है। प्रतिवादीगण द्वारा बताये रास्ते का अवलोक भी किया गया जो आराजी नम्बर 486 से लगायत स्थित होकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है, खातेदारी में से निकल रहा है। मौके पर वर्तमान में आराजी नम्बर 511 व 512 की दक्षिणी मेड़ पर रास्ता मौजूद है तथा चालू है। और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया द्वारा प्रस्तुत द्वितीय मौका रिपोर्ट में प्रथम बार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार, उन्हीं बिन्दुओं का वर्णन किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 486, 487 भी है जिसका वर्णन जानबूझकर प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थी की आराजी संख्या 486, 487, 513, 515, 516 आपस में सटी हुई है। प्रार्थी गै.मु. आबादी 109 से आराजी संख्या 500, 498, 495, 488, 489, 490 से होता हुआ अपनी आराजी सं. 486 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में कदिमी रास्ते के रूप में डोटेड लाईन के रूप में अंकित किया गया है। उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर मौजूद होकर प्रार्थी व अन्य सभी काश्तकार इसी रास्ते से अपने कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। कदीमी रास्ते के सटवा प्रार्थीकी आराजी सं. 486 स्थित होने से तथ्य को छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी महज सुगमता के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग गै.मु. आबादी 530 से सटवा आराजी संख्या 517 व 518 के मध्य की मेर से होकर सहज रूप से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 516 में जाता है तथा आराजी संख्या 516 से होकर आराजी नम्बर 514 गै.मु.आ.चा. पर पहुंचता है और प्रार्थी अपनी शेष आराजियात पर भी इसी रास्ते का उपयोग कर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि उक्त रास्ता आराजी 511, 512 के मुकाबले लघुतम है। इस प्रकार प्रार्थी के पास दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोन एवं परीक्षण किया, तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो अवलोकन गया। उभयपक्षों के अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार चाहा गया मार्ग की आवश्यकता है एवं मौके पर रास्ता मौजूद होकर चालू है। भू0अ0निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना बताया है किन्तु प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी संख्या 486 से सटवा रास्ता जो राजस्व रेकार्ड नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है मौजूद है, जिसका वर्णन विपक्षीगण ने अपने जवाब में किया है। साथ ही प्रार्थी के द्वारा जिस आराजी संख्या 514 पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है, वह आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा कुए पर पहुंच हेतु रास्ता जो चालू है, को चौड़ा करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंच हेतु नवीन रास्ता नहीं चाहा गया है। मौजूदा चालू रास्ते को चौड़ा करवाने हेतु निवेदन किया गया है। जिससे रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है।
2. अन्य वैकल्पिक रास्ता :– प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी संख्या 486 से सटवा रास्ता जो राजस्व रेकार्ड नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है मौजूद है, जिसका वर्णन विपक्षीगण ने अपने जवाब में किया है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजियात पर पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।
3. प्रकरण में राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा जिस आरजियात 511, 512 में रास्ता चाहा गया है, वह **चाभूजाजी महाराज स्थान देह खुद काश्त देवस्थान हिस्सा पूर्ण**

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा(राज.)

खातेदार के नाम से दर्ज रेकार्ड है। जिसमें विपक्षीगण काश्तकार के रूप में खातेदार के तौर पर दर्ज रेकार्ड नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत में से रास्ता/पाईपलाईन के लिए है। अतः सामान्यतः मंदिर देवस्थान(देवस्थान विभाग/देवस्थानीय सम्पत्ति) की भूमि से इस धारा के तहत रास्ता नहीं दिया जात सकता, क्योंकि वह खातेदारी कृषि भूमि नहीं मानी जाती। धारा 251–क की भाषा साफ तौर पर ''किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर'' भूमिगत पाईप लाईन बिछाने, नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग चौड़ा करने की बात करती है। यह प्रावधान केवल खातेदारी भूमि के बीच आपसी अधिकार निर्धारण के लिए बनाया गया है, ताकि किसान अपनी जोत तक पहुंच और सिंचाई सुनिश्चित कर सके। जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है वह देस्थान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है न कि विपक्षीगण के निजी खातेदारी के रूप में, चूंकि 251–क ''अन्य खातेदार'' की जोत पर लागू होती है, इसलिए देवस्थान की भूमि पर धारा 251–क के प्रावधान सीधे तौर पर लागू नहीं होते है, क्यों कि भूमि विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड नहीं है। चूंकि भूमि जमाबंदी में **खुद काश्त देवस्थान खातेदार** से दर्ज रेकार्ड है, अतः देवस्थान विभाग की स्वीकृति से ही रास्ते का समाधान संभव है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतु मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। तथा जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है वह **खुद काश्त देवस्थान खातेदार** नाम से राजस्व रेकार्ड दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की आराजी पर पहुंच हेतु मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने एवं भूमि देवस्थान के नाम से दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा